जनपद मऊ तथा आसपास जनपदों में विगत दिवसों में हुई बड़ी चोरियों से सम्बन्धित अंतरराज्य गैंग का पर्दाफाश, जनपद बलिया पुलिस एवं मऊ पुलिस के संयुक्त प्रयास से जनपद बलिया में 02 शातिर चोर सहित एक स्वर्ण व्यवसायी गिरफ्तार, भारी मात्रा में जेवरात (पीलीधातु 342.48 ग्राम), नगदी 01 लाख 84 हजार रुपये व 02 तमंचा व कारतूस बरामद–

पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री अखिलेश मीणा के कुशल निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद बलिया एवं मऊ पुलिस के संयुक्त प्रयास से जनपद बलिया में 02 शातिर चोर सहित एक स्वर्ण व्यवसायी गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भारी मात्रा में जेवरात (पीलीधातु 342.48 ग्राम), नगदी 01 लाख 84 हजार रुपये व 02 तमंचा व कारतूस बरामद किया गया जिसमें जनपद बलिया, जनपद गाजीपुर में हुई चोरी तथा जनपद मऊ अंतर्गत थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत विगत दिनों में हुयी तीन चोरियों, थाना घोसी क्षेत्र में हुयी चोरी तथा थाना रानीपुर में हुई चोरी का सफल अनावरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.08.2023 को धनौली रामपुर व दिनांक 9/10.09.2023 को फरसरा बुजुर्ग व चांदपुर धनौली में चोरी की घटनायें हुयी जिनमें जेवरात व नगदी चोरी हुये। आसपास के जनपदों में भी इसी तरीके से जेवरात तथा कैश की चोरी हुई। उक्त घटनाओं की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा दोनों जनपदों में पुलिस की टीमों का गठन करते हुये मामले के अतिशीघ्र अनावरण हेतु सख्त दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसके क्रम में दिनांक 15.09.2023 को बलिया पुलिस द्वारा थाना फेफना क्षेत्रान्र्तगत 02 शातिर बदमाशों क्रमशः बृजभान उर्फ नसूड़ी बनवासी पुत्र रमेश निवासी व थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर व राजकुमार बनवासी पुत्र राजेश निवासी नसीरपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के कब्जे से भारी मात्रा में जेवरात व नगदी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसमें उक्त नसूड़ी के कब्जे से पीली धातु के 04 अंगूठी, 07 झुमका, 04 सिकड़ी, 05 बाली, 03 झालर, 02 कंगन, 07 लाकेट इत्यादि व उक्त राजकुमार बनवासी के कब्जे से पीली धातु के 01 हार, 04 मंगलसूत्र लाकेट, 03 मांगटीका, 14 अंगूठी, 07 झुमका, 06 बाली, 08 कान का टप्स इत्यादि व दोनों के कब्जे से एक लाख 84 हजार रुपये नगद व 02 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, जिसमें अन्य जनपदों में चोरी गए सामान के साथ–साथ ले थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्र्तगत दिनांक 28.08.2023 को धनौली रामपुर, दिनांक 9/10.09.2023 को फरसरा बुजुर्ग व चांदपुर धनौली व थाना घोसी के ग्राम भांवनपुर में हुयी चोरी से सम्बन्धित जेवरात व रुपये भी बरामद हुए।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. बृजभान उर्फ नसूड़ी बनवासी पुत्र रमेश निवासी व थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।
2. राजकुमार बनवासी पुत्र राजेश निवासी नसीरपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।
3. रणजीत कुमार वर्मा(सुनार) पुत्र स्व0 रामजी वर्मा निवासी चितनाथ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

चोरी गए सामान की पूर्ण बरामदगी के संबंध में तीन टीमों का गठन किया गया है । सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है । बिहार प्रदेश के दो जनपदों की पुलिस तथा उत्तर प्रदेश के चार जनपदों की पुलिस से संपर्क स्थापित कर पूरे गैंग का सफाया हेतु अभियान जारी है।

उल्लेखनीय है की चोरियों के अनावरण में पहली सफलता सीसीटीवी के माध्यम से हुई थी तथा जिन भी घरों में चोरियां हुई थी एक घर को छोड़कर किसी भी घर में सीसीटीवी नहीं लगाया गया था तथा घर के लोगों के जगे रहते हुए भी इन शातिरों द्वारा चोरी कर ली गई थी अतः निवेदन है की सभी सक्षम लोग अपने अपने घरों में सीसीटीवी लगायें और गांव तथा मोहल्ले में आने वाले बाहर के लोगों पर नजर बनाए रखें उनके आईडी कार्ड की फोटो इत्यादि एवं उनका स्वयं का फोटो इत्यादि अवश्य खींचे साथ ही बाहर से आए फेरी वाले इत्यादि से घर की जानकारी साझा ना करें, प्रायः यह देखने में

आया है कि इस प्रकार के गैंग पहले टारगेट के संबंध में छानबीन करते हैं एवं सामान इत्यादि बेचने के बहाने महिलाओं के वार्तालाप को बहुत देर तक सुनते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि किस घर में कौन कहां जाने वाला है अतः ऐसे फेरी वालों या किसी भी अनजान व्यक्ति के संबंध में पूर्णतः सतर्क रहें उनकी गाड़ी का फोटो उनका फोटो उनके आईडी कार्ड का फोटो उनका मोबाइल नंबर आदि अवश्य पता कर रखें, किसी भी शंका की दशा में 112 नंबर पर कॉल करें अथवा स्थानीय पुलिस से संपर्क करें, जनपद मऊ पुलिस आपकी सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है । मूलभूत सुरक्षा उपायों पर अवश्य ध्यान दें।

वांछित नाम पता अभियुक्तगण–

1. गैंग का मुखिया कमलेश बनवासी पुत्र स्व0 केदार बनवासी निवासी कनैला थाना गड़वार जनपद बलिया
2. सुनील बनवासी पुत्र स्व0 केदार बनवासी निवासी पातेपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
3. सीता राम बनवासी पुत्र स्व0 विक्रमा बनवासी निवासी कुरान सरैया थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

बरामदगी–

1. 18 अंगूठी। (पीली धातु)
2. 14 झुमका। (पीली धातु)
3. 04 सिकड़ी। (पीली धातु)
4. 11 बाली। (पीली धातु)
5. 03 झालर। (पीली धातु)
6. 02 कंगन। (पीली धातु)
7. 11 लॉकेट। (पीली धातु)
8. 08 टप्स। (पीली धातु)
9. 01 हार। (पीली धातु)
   इत्यादि
10. 01 लाख 84 हजार रुपये।
11. 02 तमंचा व जिंदा कारतूस 315 बोर।

चोरी की योजना बना रहा एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरण बरामद––

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 14.09.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बुढावर में वादी की दुकान की छत पर बैठकर चोरी की योजना बना रहे एक शातिर बदमाश को पकड़कर वादी तथा आस–पास के लोगों द्वारा थाना स्थानीय पुलिस को सुपुर्द किया गया। पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा अपना नाम विशाल पाण्डेय पुत्र वशिष्ठ निवासी बड़ैला थाना गोला जनपद गोरखपुर बताया गया जिसके कब्जे से एक बैग में लोहे की 02 राड, 02 रिंच, पेचकश, रम्मा, पंच व एक काला गमछा, मास्क, एक डिब्बी में रखा तरल पदार्थ, इत्यादि सामान बरामद कर गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग ताला व दरवाजा तोड़कर चोरी करने के लिये इन सामानों का उपयोग करते हैं। मौके पर मुझे आस–पास के लोगों के द्वारा पकड़ लिया तथा मेरे साथी अजीत व रंजीत निवासी गोरखपुर इस दौरान भागने में सफल रहे। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 200/23 धारा 401 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. विशाल पाण्डेय पुत्र वशिष्ठ निवासी बड़ैला थाना गोला जनपद गोरखपुर।

फरार अभियुक्तगण–

1– अजीत

2– रंजीत निवासीगण गोरखपुर।

बरामदगी–

1. एक बैग में रखे 02 लोहे की राड, 02 रिंच, पेचकश, रम्मा, पंच व एक काला गमछा, मास्क, एक डिब्बी में रखा तरल पदार्थ, इत्यादि सामान

अपराधिक इतिहास विशाल पाण्डेय–

1. मु0अ0सं0 88/19 धारा 147,323,427 भादवि गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 326/21 धारा 392,411 भादवि गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 349/22 धारा 380,411,457 भादवि गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 498/22 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 200/23 धारा 401 भादवि थाना दोहरीघाट मऊ।

चोरी की एक मोबाइलफोन के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.09.2023 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सीएचसी मुहम्मदाबाद के पास से अफताब अहमद पुत्र स्व0 इन्तियाज अहमद निवासी हमीनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे चोरी की एक अदद मोबाइलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 315/23 धारा 379 भादवि0 में धारा 411 भदवि0 क बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।